न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

<u>आदेश</u>

विभाजन वाद संख्या 38/2022
सीआईएस न0 38.22

दिनांकः 13.12.2023 वाद पुकारा गया प्रस्तुत मामला वादी द्वारा दिनांक 18.11.2023 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश संख्या 6 नियम 17 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

प्रस्तुत मामले में वादी का कथन है कि वादी का वाद एक पक्षीय साक्ष्य हेतु निर्धारित है । मामले में साक्ष्य की तैयारी में यह बात सामने आयी है कि टंकन के भूल के कारण वाद पत्र में कुछ शब्द गलत अंकित हो गया है जिनका सुधार होना आवश्यक है। यह कि वाद पत्र के पेज न0 4 पैरा न0 4 को शुरू से आखिर तक कलमजद किया जाए और उसके स्थान पर निम्न शब्द जोड़ दिया जाए । यह कि वाद पत्र के पेज सं0 5 पैरा न0 6 पांचवे लाईन में शब्द किशुन राउत से लेकर दिया जा चुका है को कलमजद कर दिया जाए। यह कि वाद पत्र के पेज न0 6 पैरा न0 8 के तीसरी लाइन में शब्द ''ओबबह'' को कलमजद कर उसके स्थान पर शब्द औबल जोड़ दिया जाए । इसी पैरा में पांचवे लाइन में शब्द औबबल को कलमजद कर औबल जोड़ दिया जाए। यह कि वाद पत्र के पेज न 6 पैरा न 8 में परिवर्तन आवेदन पत्र के अनुसार करने की कृपा किया जाए।

प्रतिवादी उपस्थित नहीं है । अतः उसका पक्ष अभिलेख पर नहीं आ सका है।

उपस्थित पक्षों को सुना। मामले में वादी के आवेदन का अनुशीलन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत वर्णित है कि ***''न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबंधो पर जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करे या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधित किये जाएंगे जो कि पक्षकारों के मध्य में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।***

परन्तु विचारण के प्रारंभ होने के उपरांत संशोधन के लिए प्रार्थना की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक न्यायालय इस निर्णय पर न पहुंचे कि उचित तत्परता के उपरांत भी पक्ष विचारण प्रारंभ होने से पूर्व मामला नहीं उठा पाया।''

प्रस्तुत मामले में समस्थ तथ्यों के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि प्रस्तुत मामले में वादी के द्वारा दिया गया आवेदन साक्ष्य प्रारंभ होने के समय दिया गया है मामले में वादी का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह वाद पत्र को बेहतर एवं युक्तियुक्त सावधानी के साथ प्रस्तुत करे परन्तु इस मामले में वादी ऐसा नहीं कर सका है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 में यह वर्णित है कि मामले में वाद पत्र में संशोधन वाद की कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम में किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में यद्यपि वादी के द्व ारा उचित तत्परता नहीं दिखाई गयी है परन्तु संशोधन को देखने से प्रतीत होता है कि संशोधन औपचारिक प्रकृति का है और मामले के सम्यक निस्तारण हेतु इस पर विचार करना आवश्यक है,

इससे वाद पत्र की प्रकृति में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं होगा अतः 2000 रुपये खर्चे के साथ जो कि नजारत मोतिहारी में जमा किया जाएगा। प्रस्तुत आवेदन इस निर्देश के साथ कि वादी अग्रिम तिथि में संशोधन पूर्ण करे। वादी का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। और एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक.....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित

अवर न्यायाधीश
अरेराज, पूर्वी चम्पारण।